भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 52
03.02.2025 को उत्तर के लिए

तटीय और वेडर पक्षी गणना

52. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात राज्य के जामनगर में तटीय और वेडर पक्षी गणना के शुरू किए जाने के मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त गणना के दौरान कोई दुर्लभ, लुप्तप्राय या पहले से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई प्रजाति देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग तटीय और वेडर पक्षियों के लिए संरक्षण नीतियों और रणनीतियों में किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जैसा कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, गुजरात राज्य के जामनगर में तटीय और वेडर पक्षी की गणना किए जाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- पक्षियों की संख्या की निगरानी तथा तटीय और वेडर पक्षी की प्रजातियों की संख्या के आकार, वितरण और विविधता से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण।
- खाद्य स्रोतों, प्रजनन स्थलों आदि जैसे कारकों के संबंध में पर्यावास का आकलन।
- प्रवास मार्गों, पड़ाव स्थलों और शीतकालीन पर्यावास स्थलों के संबंध में प्रवासी पक्षियों के पैटर्न को समझना और जागरूकता पैदा करना।

(ख) इस गणना के दौरान वैश्विक रूप से संकटग्रस्त कई प्रजातियों जैसे ग्रेट नॉट, रेड नॉट, कर्ल्यू सैंडपाइपर, यूरेशियन कर्ल्यू, ब्रॉड बिल्ड सैंडपाइपर, बार टेल्ड गॉडविट, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, ग्रेट थिक नी, कॉमन पोचर्ड, डनलिन, ऑयस्टरकैचर, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंडियन स्कीमर के संबंध में सूचना दर्ज की गई। इस कार्य के दौरान पहले से रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई कोई भी प्रजाति नहीं देखी गई।

(ग) वन्य पशुओं की प्रजातियों की संख्या के आकलन के दौरान प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कार्य योजनाएं बनाने और ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधन कार्य-कलापों के लिए आधार के रूप में भी किया जाता है।

*****